संख्या–1137/सोलह–प्रा0शि0–3–2011–46(8)/2002

प्रेषक,

राम गणेश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 04 मई 2011

विषय: अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा Approval Process Hand Book 2011–12 में डिप्लोमा सेक्टर के विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश की अर्हता पुनर्निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–25679/ई–एआईसीटीई, दिनांक 10.2.2011 तथा सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद के पत्र संख्या–परिषद/पी0सी0आई0/2011/57770 दिनांक 9–3–2011 व पत्र संख्या परिषद–सात (4)/एआईसीटीई/2011/3115 दिनांक 25–4–2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा संदर्भित प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:–

(1) ए0आई0सी0टी0ई, अभियंत्रण/व्यावसायिक संस्थाओं के संचालन हेतु अनुमोदन प्रदान करने तथा तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में मानक निर्धारित करने हेतु गठित एक सांविधिक निकाय है। अतः डिप्लोमा स्तरीय अभियंत्रण/व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु एआईसीटीई द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा एवं भविष्य में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु संचालित की जाने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए एआईसीटीई के Approval Process Hand Book 2011-12 में विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नांकित निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निर्धारित करते हुए संचालन किया जायः–

(1) डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3/4 वर्षीय कोर्स के लिए 10 वीं0 कक्षा न्यूनतम **35 प्रतिशत अंक** के साथ उत्तीर्ण

(2) 02 वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के लिए 12वीं उत्तीर्ण न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ तथा आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम **45 प्रतिशत** अंक के साथ उत्तीर्ण अथवा 3/4 वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के लिए 10वीं उत्तीर्ण

——2/

न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक के साथ तथा इसके साथ ही फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित फार्मेसी की अर्हता में निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताओं का भी समावेश किया जाता है:–

1 Intermediate examination with Science
2 The first year of the three year degree course in Science
3 10+2 examination (academic stream) in Science
4 pre-degree examination
5 Any other qualification approved by the Pharmacy Council of India as equivalent to any of the above examination

(3) 3/4 वर्षीय आर्कीटेक्चर पाठ्यक्रम के लिए 10वीं उत्तीर्ण न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक के साथ ।

(4) 03 वर्षीय होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलाजी पाठ्यक्रम के लिए 12वीं उत्तीर्ण न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ तथा आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम **45 प्रतिशत अंक** के साथ उत्तीर्ण अथवा 10वीं कक्षा न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण के पश्चात् 3/4 वर्षीय होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलाजी पाठ्यक्रम ।

(5) 3/4 वर्षीय एप्लाइड आर्टस एण्ड क्राफ्ट् पाठ्यक्रम के लिए 10वीं कक्षा न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण ।

(6) सभी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में जिसमें प्रवेश सीधे द्वितीय वर्ष में हो के लिए 12वीं कक्षा विज्ञान, व्यावसायिक /प्राविधिक के साथ उत्तीण या 10 वीं उत्तीण के साथ 02 वर्षीय आई0टी0आई0 उपयुक्त विशेषज्ञता के साथ उत्तीण ।

Student passsing 12th Science with Vocational / Technical subjects or Xth + (2 years ITI) with appropriate specialisation in that order shall be eligible for admission to second year Diploma course of appropriate program up to a maximum of 20 % of sanctioned intake, except Andaman Nicobar, Lakshadweep Diu and Daman where it shall be 30 % which will be the supernumerary of the approved intake.

(3) हाईस्कूल की परीक्षा में 35 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले जिन छात्रों द्वारा डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक) वर्ष 2011 में आवेदन किया है वे डिप्लोमा स्तरीय किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होगे। ऐसे अभ्यर्थी चाहे तो आवेदन पत्र की संख्या /समुचित साक्ष्य प्रस्तुत करके संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद से आवेदन पत्र के क्रय में व्यय की

3/

गयी धनराशि वापस ले सकते है। हाई स्कूल में 35 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले छात्रों द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक) वर्ष 2011 में भाग ले लेने की स्थिति में वे आवेदन पत्र के कय में व्यय की गयी धनराशि की वापसी के हकदार नहीं होगें।

(4) कृपया उक्त के संबंध में विस्तृत प्रचार–प्रसार इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा तथा राष्ट्रीय /स्थानीय हिन्दी, अग्रेंजी व उर्दू के दैनिक समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कराया जाय एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद/प्राविधिक शिक्षा निदेशालय तथा संयुक्त प्रवेश परीक्षा की बेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाय। इसके अतिरिक्त फार्म/आवेदन पत्र बिकने वाले समस्त पालीटेक्निक संस्थाओं पर भी नोटिस लगवाकर अभ्यर्थियों को सूचित किया जाय।

3 कृपया उक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राम गणेश)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1 सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2 सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3 निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 कानपुर।
4 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम गणेश)
विशेष सचिव।